प्रेस नोट दिनांक 16.03.2025

कोतवाली चन्दौली जनपद चन्दौली

□चन्दौली पुलिस को मिली सफलता, दुष्कर्म के अपराध में वांछित शातिर अभियुक्त को थाना चन्दौली पुलिस ने दौराने पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर व 01 मिस कारतूस 315 बोर बरामद।

श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्री मोहित गुप्ता पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी के निर्देशन में श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश कुमार राय के कुशल पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चन्दौली राजेश कुमार सिंह मय थाना कोतवाली चन्दौली पुलिस टीम व उ0नि0 आशीष मिश्रा प्रभारी स्वाट/सर्विलांस टीम मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर आज दिनांक 16.03.2025 को रात्रि लगभग 02.30 बजे मु0अ0सं0 60/2025 धारा- 65(2) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट में वांछित शातिर अभियुक्त सुभाष सोनकर पुत्र सकलू सोनकर निवासी ग्राम बिसौरी थाना व जनपद चन्दौली को नवहीं के पास थाना क्षेत्र चन्दौली से पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

घटनाक्रम- आज दिनांक 16.03.2025 की रात्रि लगभग 02.30 बजे थाना कोतवाली चन्दौली पुलिस व स्वाट/सर्विलांस पुलिस टीम को मुखविर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा अपराध संख्या -60/2025 धारा -65(02) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट में वांछित शातिर अभियुक्त सुभाष सोनकर पुत्र सकलू सोनकर निवासी ग्राम बिसौरी थाना व जनपद चन्दौली एक मोटरसाइकिल से चिकया की तरफ से नवहीं होते हुए अपने घर आने वाला है तथा अपना सामान लेकर कही भागने के फिराक में है। उपरोक्त सूचना पर थाना कोतवाली चन्दौली पुलिस व स्वाट/सर्विलांस पुलिस टीम द्वारा वाजिदपुर मोड़ के पास चेकिंग की जा रही थी। तभी चैकिंग के दौरान नवहीं की तरफ से एक मोटरसाईकिल पर एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया । जिसे पुलिस टीम द्वारा रूकने का इशारा किया गया तो मोटरसाईकिल पर सवार व्यक्ति ने भागने के नियत से मोटरसाइकिल मोडकर भागा किन्तु मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गयी तो पैदल ही भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा रूकने का इशारा करने पर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायररिंग शुरु कर दी। पुलिस टीम द्वारा भी जबाबी कार्यवाही मे आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गयी जिससे मोटर साईकल सवार के दांहिने पैर के घुटने से नीचे में गोली लगने से वह घायल होकर गिर गया। पुलिस पार्टी द्वारा घायल के पास जाकर देखा गया तो उसकी पहचान सुभाष सोनकर पुत्र सकलू सोनकर निवासी ग्राम बिसौरी थाना व जनपद चन्दौली के रुप में हुई। जो थाना कोतवाली चन्दौली के 60/2025 धारा -65(02) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना व जनपद चन्दौली का वांछित अभियुक्त है। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारत्स, 02 जिंदा कारत्स 315 बोर, 01 मिस कारत्स 315 बोर व 01 मोटरसाइकिल व 350/- रु0 बरामद हुए। पुलिस कर्मियों द्वारा घायल बदमाश को नियमानुसार हिरासत में लेकर तत्काल इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया गया है।

अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना चन्दौली पर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

•सुभाष सोनकर पुत्र सकल् सोनकर निवासी ग्राम बिसौरी थाना व जनपद चन्दौली।

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.सं.-61/2025 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आयुध अधि0 थाना चन्दौली जनपद चन्दौली।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0- C-28/04 धारा 143/323/325/504/506/452/493/494/496/497/498 भादवि थाना व जनपद चन्दौली
- 2.मु0अ0सं0- 196/06 धारा 60/63 EX Act थाना व जनपद चन्दौली
- 3.4030 सं0-250/06 धारा 498A भादिव व 3/4 डीपी एक्ट थाना व जनपद चन्दौली
- 4.49030 सं0-181/07 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना व जनपद चन्दौली
- 5.मु0अ0सं0-124/07 धारा308/325/323//504/506 भादवि थाना व जनपद चन्दौली
- 6.मु0अ0सं0-383/10 धारा 395 भादवि थाना विंसो जनपद गाजीपुर
- 7.4030सं0-17/10 धारा-3(1) 30प्र0 गैगेंटर एक्ट थाना सरायलखंसी जनपद मऊ
- 8.मु0अ0सं0- 394/10 धारा 457/381 भादवि थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर
- 9.मु0अ0सं0- 743/08 धारा 307/401 भादवि थाना चुनार जनपद मिर्जापुर
- 10.मु0अ0सं0-744/08 धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना चुनार जनपद मिर्जापुर
- 11.मु0अ0सं0- 812/08 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेंटर एक्ट थाना चुनार जनपद मिर्जापुर
- 12.मु0अ0सं0-42/21 धारा 452/380/411 भादवी
- 13.मु0अ0सं0-39/21 धारा 3/5ए/8 गोवध व 11 पशु क्रू0 नि0अधी0 थाना बबुरी जनपद चन्दौली
- 14.मु0अ0सं089/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना बबुरी जनपद चन्दौली
- 15.मु0अ0सं0- 60/2025 धारा 60/2025 धारा- 65(2) बीएनएस व 5/6 पोक्सो एक्ट थाना व जनपद चन्दौली।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 खोखा कारतूस 315 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 मिस कारतूस 315 बोर
- 01 मोटरसाईकिल बजाज प्लेटिना।
- 350 रु0 बरामद

पुलिस टीम का विवरण -

निरीक्षक राजेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चन्दौली मय हमराह निरीक्षक अपराध दुर्गेश कुमार यादव कोतवाली चन्दौली 30नि0 आशीष मिश्रा प्रभारी स्वाट/सर्विलांस सेल चन्दौली 30नि0 रावेन्द्र सिंह कोतवाली चन्दौली हे0का0 सुनील कुमार सिंह कोतवाली चन्दौली हे0का0 अरविन्द राजभर SOG/सर्विलांस जनपद चन्दौली हे0का0 रामानन्द SOG/सर्विलांस जनपद चन्दौली हे0का0 बिजेन्द्र सिंह SOG/सर्विलांस जनपद चन्दौली हे0का0 अरविन्द भारद्वाज SOG/सर्विलांस जनपद चन्दौली हे0 का0 आनन्द सिंह SOG/सर्विलांस जनपद चन्दौली हे0 का0 आनन्द सिंह SOG/सर्विलांस जनपद चन्दौली हे0का0 राना प्रताप सिंह SOG/सर्विलांस जनपद चन्दौली हे0का0 विजेन्द्र सिंह SOG/सर्विलांस जनपद चन्दौली हे0का0 रामान्द सिंह SOG/सर्विलांस जनपद चन्दौली हे0का0 प्रेम कुमार सिंह सर्विलांस जनपद चन्दौली हे0 का0 मन्टू कुमार सिंह सर्विलांस जनपद चन्दौली का0 गनेश कुमार तिवारी सर्विलांस जनपद चन्दौली का0 सागर यादव कोतवाली चन्दौली।